

FORM NO.111

कर अहकाम

(विधम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर जिले के न्यायालय

विधम नंबर - 111/2019

दिनांक - 11/12/2019

विधम या कार्यवाही के लिए उपखण्ड न्यायालय

न्यायालय के
अहकाम के
प्रति प्रतिक्रिया
के लिए

सकल लिखित और कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट के माध्यम से न्यायालय द्वारा पारित लिखी व निर्णय की पालना 1137 दिनांक 03.12.2019 के आदेश में अमल दरामद किया। इसका प्रमाण रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 11/12/2019 के लिए है।

(Handwritten signature)

उपरोक्त प्रकरण
श्रीमाधोपुर जिले के न्यायालय
में न्याया. सं. -
1137/डि. 03.12.2019
द्वारा न्यायालय
द्वारा पत्रावली
माध्यम से
11.05.2021
(राजपूत न्यायालय)
श्रीमाधोपुर

17.06.2021

पत्रावली तारीख देसी से गिरकर आज देसी हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नाथब लक्ष्मीलालद्वारा श्रीमाधोपुर में अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित लिखी व निर्णय की पालना जस्टिस न्यायालय संख्या 1137 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर छोड़ दिया जाता है। पत्रावली अंतिम नुमांदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten signature)
(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

